


22.10.18

वकुलाय उपस्थि


श्रीमान् S.D.O. साहज दीगर आवश्यक राजकार्यों में व्यस्त रहने से पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 10.01.19 को पेश है।


S.D.O. Patil

15.01.19


P.O. सा. ज. व. वा. का कार्य में व्यस्त है।

वकील वर पत्रावली का वादायक है कर्मचारी नहीं दे पाई।
उदा. पत्रावली दि. 01.04.19 को पेश हो


S.D.O. Patil

01.04.19


सरकारी पैरोकार उपरी वकील अग्रधीगण उपरी अहम हेतु अक्सर चाहते हैं जो - छाया हित में दिया जाता है। स्थान की अवधि आगामी सुवाई तारीख तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दिनांक से 05.3.19 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

27/5/19

सरकारी पैरोकार उपरी वकील अग्रधीगण उपरी उन्नयपक्ष की स्थान पर सुना गया। सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की कितनी बातों हैं अग्रधीगण ने बर्कर सुझावों का वाचे वादग्रस्त भूमि का हकूषि प्रयोजनार्थ काम में लिया गया है तथा भूके पर निर्माण कार्य का भूमि का उपजाऊपन बिगाड़ने पर क्षामादा है जिन्हे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। इसलिये अग्रधीगण के विरुद्ध कस्ट्याई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विधान परिषद के अग्रधीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर कितनी भी प्रजा का नया निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। इत्तवा अग्रधीगण के विरुद्ध कस्ट्याई निषेधाज्ञा जारी की जावे।


सहायक कलेक्टर


Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

सहायक कलेक्टर एवं सुपरींटेंडेंट अचिारी, पाली
 बहालीलडाट पाली बनाम चतशशद
 15 212 श. का. 35. 1955 नम्बर 533 / 2 सन् 18

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
 जो इस हुकम की तामील
 में जारी हुए

उभय पक्ष की बहल पर मनन किया गया।
 एवं पडावली का शक्लोकन किया गया।
 यह उचित प्रतीत होता है कि विवाद को बंद
 से रोकने के लिए अपाधीगण के पिरुह
 अस्थाई मिषेधाज्ञा जारी की जावे।
 क्र. पडावली में दिनांक 15.6.18
 को जारी अन्तरिम अस्थाई मिषेधाज्ञा को
 रफ्तक लला मूलः वाद Contention किया जात है।
 पडावली फेशल शुभार होकर मूल वाद के
 सलन की जावे।


 सहायक कलेक्टर
 पाली